

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिलाधिकारी, सुपौल व पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से स्वाभाविक मृत्यु में 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार कर् दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) एवं दुर्घटना मृत्यु में 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) अर्थात् कुल ₹ 3900000/- (तीन लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित कं स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रित का नाम एव पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःश्वसता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० छोटेला ल पासवान, 53, स्व० दुखा पासवान, अनु० जाति	श्रीमती ममता देवी(पत्नी)	478/6.12.19	ग्रा०+पो०-बैरो, वार्ड नं० 12, था०+प्र०+जि०-सुपौल	10810010 30007536	Uttar bihar gramin bank, Bairo, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० नरेश ठाकुर, 42, श्री शंकर ठाकुर, अ० पि० वर्ग	श्रीमती पुनम देवी(पत्नी)	479/6.12.19	ग्रा०-पुरानी दुर्गास्थान, वार्ड नं० 11, था०+प्र०+जि०-सुपौल	34718994 110	SBI, MAHAVIR CHOWK, SBIN0000190	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बर्द्धमिस्त्री के साथ मजदूरी का कार्य
3	स्व० सनोज कुमार राम, 19, श्री महेन्द्र राम, अनु० जाति	श्रीमती सरोजया देवी(माता)	480/6.12.19	ग्रा०-महेशपुर धाता वार्ड नं० 02, पो०-नेमुआ, था०+प्र०+जि०-सुपौल	17440001 00051803	PNB, BUSBITTI, PUUNB017440 0	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, टेन्ट हाउस के दुकान में मजदूरी का कार्य
4	स्व० बबलू कामत, 28, श्री जगदीश कामत, अ० पि० वर्ग	श्रीमती सोनी देवी(पत्नी)	05/4.01.20	भेलाही वार्ड नं० 21, था०+प्र०+जि०-सुपौल	22930110 100356	UCO BANK SUPAUL, UCBA0002293	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बिजली मिस्त्री
5	स्व० शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा, 47, स्व० विभिषण साह, पि० वर्ग	श्रीमती शोभा देवी(पत्नी)	06/4.01.20	नगर पंचायत वीरपुर वार्ड नं० 10, था०-वीरपुर, प्र०-बसंतपुर, सुपौल	24890001 00064697	PNB BALBHADRA PUR, PUNB0248900	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, साईकिल मिस्त्री
6	स्व० तरुण कुमार गुप्ता, 32, स्व० दशरथ प्रसाद गुप्ता, पि० वर्ग	श्रीमती ललिता देवी(पत्नी)	07/4.01.20	ग्रा०-विशनपुर शिवराम, वार्ड नं० 07, था०-बलुआ बाजार, प्र०-बसंतपुर, सुपौल	21210063 42	Central Bank of India, Birpur, CBIN0280063	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल :- ₹ 390000/-

(तीन लाख नब्बे हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति व बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित व बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-38/2019 के पृष्ठ-16/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(सुधीर कुमार)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-38/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


ह०/-

(सुधीर कुमार)
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-38/2019-62

पटना, दिनांक :- 09-03-2020

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 390000/- (तीन लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी



(सुधीर कुमार)
कार्यकारी निदेशक।